संख्या:48/2017/145/35-4-2017

प्रेषक ,

पी.एन. त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
इटावा ।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ:दिनांक 01 मार्च,2017

विषय: वित्तीय वर्ष 2016-17 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत द्वितीय किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में शासनादेश संख्या-33/2017/84/35-4-2017 दिनांक 03 फरवरी,2017 द्वारा **सैफई मास्टर प्लान के अन्तर्गत पेयजल से सम्बन्धित कार्य** की द्वितीय किश्त के रूप में रू. 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है। शासनादेश में धनराशि के व्यय हेतु लेखाशीर्ष से संबंधित प्रस्तर-2 निम्नवत है:-

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40-आयोजनागत-लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

उक्त लेखाशीर्ष के लघु शीर्ष में 102-ग्रामीण जलपूर्ति के स्थान पर टंकण त्रुटिवश -101- शहरी जलपूर्ति अंकित हो गया है। अत: उक्त संन्दर्भित शासनादेश के लेखाशीर्ष से संबंधित प्रस्तर-2 निम्नवत पढ़ा जायेगा:-

2- उपर्युक्त मद पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय व्ययक में अनुदान संख्या-40–आयोजनागत-लेखाशीर्ष-4215-जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय-01-जलपूर्ति-102-ग्रामीण जलपूर्ति-03-त्वरित आर्थिक विकास योजना-02-जलपूर्ति कार्यक्रमों के चालू कार्यों के लिये एकमुश्त व्यवस्था-24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 03 फरवरी,2017 की अन्य शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे। इस सीमा तक उक्त शासनादेश संशोधित समझा जायेगा।

भवदीय,

(पी.एन.त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या:48/2017/145(1)/35-4-2017 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1-प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2-महालेखाकार, लेखापरीक्षा , प्रथम एवं द्वितीय, इलाहाबाद।
3-प्रमुख सचिव/सचिव ग्राम्य विकास/नगर विकास/कृषि विपणन ।
4-प्रमुख सचिव, वित्त।
5-निजी सचिव, मा.मुख्य मंत्री जी ।
6-मण्डलायुक्त, कानपुर।
7-मुख्य विकास अधिकारी, इटावा।
8-प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम, लखनऊ।
9-वरिष्ठ कोषाधिकारी, इटावा।
10-गार्ड फाईल।
11-वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12-राज्य योजना आयोग-1
13-जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, इटावा।

आज्ञा से,

(पी.एन.त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।